

[2023] 5 एस. सी. आर 1152

/

[2023] 5 एस सी आर।

/

प्रियंका मिश्रा और ओआरएस. बनाम.

मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य। (2023 की आपराधिक अपील No.1545)

/

8 मई, 2023

[संजय किशन कौल और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-एफ. आई. आर. को रद्द करना-प्रतिवादी नं.2-
अपीलार्थियों के विरुद्ध पत्नी (साली, सास और ससुर) और उसके पति के विरुद्ध दंडनीय
अपराधों के लिए।498-ए और एस।34, भारतीय दंड संहिता सी. और एस.4, दहेज निषेध
अधिनियम-अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिका।482 खारिज करने के लिए, खारिज-अपील पर,
अभिनिर्धारित किया गया:जहाँ तक अपीलार्थियों का संबंध है, प्रश्न गत एफ. आई. आर.
न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है-प्रत्यर्थी संख्या 2 विवाह की तारीख से वैवाहिक घर में
तीन सप्ताह से भी कम समय तक रही-फिर वह कुछ समय के लिए हैदराबाद में अपने पति के
साथ रही और अंत में लंदन और फिर स्वीडन चली गई-इसके बाद, भारत लौटने पर, उसने
आपराधिक मामला दायर किया-स्वीडन में अपने पति के साथ रहते हुए, प्रत्यर्थी संख्या। 2 ने
तलाक की याचिका दायर की थी, इसलिए, स्वीडन से वैवाहिक घर जाने के लिए आने के बाद
उसके लिए कोई अवसर नहीं था, बहुत कम वहाँ रहते हैं-इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 2 के
पति ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत ईमेल की थी, पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज करने से 3
दिन पहले, प्रतिवादी संख्या 2 से उसे और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाने की धमकी के
संबंध में, स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप एक विचार के बाद
थे-आक्षेपित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी-दंड
संहिता, 1860-एस.498-ए, 34-दहेज निषेध अधिनियम -एस. 4.

/

/

/

/

कहकशान कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य (2022)

6 एस. सी. सी. 599-पर निर्भर।

/

राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2018) 10 एससीसी 472:[2017] 9 एस. सी. आर. 529; हरियाणा राज्य बनाम भजन

लाल 1992 पूरक।(1) एससीसी 335:[1990] 3 पूरक।एससीआर

259; पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य (1998) 3 एससीसी

309 :[1998] 1 एस. सी. आर. 746; महेंद्र के. सी. बनाम स्टेट ऑफ ए

/

1152

1153

प्रियंका मिश्रा और ओआरएस. बनाम.मध्य प्रदेश और ए. एन. आर. का राज्य।

कर्नाटक (2022) 2 एस. सी. सी. 129; केंद्रीय ब्यूरो

जाँच बनाम ए रविशंकर प्रसाद (2009) 6 एस. सी. सी. 351:[2009] 9 एस. सी. आर. 1025; एस महबूब बाशा बनाम राज्य

कर्नाटक (2014) 10 एस. सी. सी. 244:[2014] 13 एससीआर

1266; रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2019) 5

एससीसी 384:[2019] 6 एस. सी. आर. 577-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[2017] 9 एससीआर 529

पैरा 14 को संदर्भित किया गया

[1990] 3 पूरक।एस. सी. आर. 259 पैरा 16 [1998] 1 एस. सी. आर. 746 पैरा 17 [2009] 9 एस. सी. आर. 1025 पैरा 18 [2014] 13 एस. सी. आर. 1266 पैरा 19 [2019] 6 एस. सी. आर. 577 पैरा 20 को संदर्भित

/

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता :2023 की आपराधिक अपील No.1545।

/

2019 के एम. सी. आर. सी. No.6054 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.04.2019 के निर्णय और आदेश से।

सुश्री विभा दत्ता मखीजा, वरिष्ठ अधिवक्ता, करण ममगैन, प्रवीण गौर, सुश्री बन्नी खन्ना, विक्रान्त सिंह बैस, योगेश तिवारी, सुश्री नीमा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

गोपाल झा, अक्षय सहाय, राहिल बंसल, जफर अहमद बी. एफ., अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था

/

अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। 2. छुट्टी दे दी गई।

3. वर्तमान अपील 2019 के विविध आपराधिक मामला संख्या 6054 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , ग्वालियर की पीठ (जिसे इसके बाद "उच्च न्यायालय " के रूप में संदर्भित किया गया है) द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.04.2019 (जिसे इसके बाद "विवादित निर्णय " के रूप में संदर्भित किया गया है) के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत दायर याचिका दायर की गई थी।

/

/

1154

/

[2023] 5 एस सी आर।

/

(इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध करता है। पी. एस. महिला थाना, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में दर्ज 2018 का अपराध सं. 139 खारिज कर दिया गया है।

वास्तविक प्रिज्म:

4. हमारे समक्ष अपीलकर्ता क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 2 की साली, सास और ससुर हैं। प्रत्यर्थी नं. द्वारा दायर शिकायत के अनुसार। 2 पुलिस के समक्ष, अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए और धारा 34 (इसके बाद आई. पी. सी. के रूप में संदर्भित) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त बनाया गया था। आरोपों के अनुसार, अपीलकर्ताओं और परिवार के अन्य सदस्यों सहित अभियुक्तों ने आई. एन. आर. 50,00,000- (पचास लाख रुपये) नकद और पंद्रह तोला सोने के आभूषणों की मांग की। शिकायत के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 की शादी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 03.02.2014 पर अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 के बेटे से हुई थी। अभियुक्त-अपीलार्थियों की मांगों के अनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 के पिता ने लगभग आई. एन. आर. 5,00,000- (पांच लाख रुपये) नकद, पंद्रह तोला सोने के आभूषण, आई. एन. आर. 50,000/- की हीरे की अंगूठी, पति के लिए आई. एन. आर. 60,000/- के कपड़े, घरेलू सामान के अलावा और कुल आई. एन. आर. 30,00,000- (तीस लाख रुपये) विवाह समारोहों में खर्च किए गए।

/

/

/

/

5. यह आरोप लगाया गया है कि शादी के बाद, अपीलकर्ताओं ने दहेज की मांग करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया और उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि उसके पति ने दहेज के रूप में आई. एन. आर.

1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) प्राप्त किए होंगे। यह कहा गया है कि अप्रैल, 2014 में प्रत्यर्थी संख्या 2 को हैदराबाद, तेलंगाना में नौकरी मिली, जहाँ उसका पति कार्यरत था और वह वहाँ गर्भवती हो गई। यह आगे कहा गया है कि अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 के पति ने उसे गाली देना शुरू कर दिया कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है, तो खर्च बढ़ जाएगा और प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने पहले ही उन्हें धोखा दे दिया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अन्य बातों के साथ-साथ हैदराबाद में प्रतिवादी संख्या 2 पर जबरन गर्भपात कराया। और जब अपीलकर्ता संख्या 1 की सगाई होनी थी, तो अपीलकर्ताओं ने उसे फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और मार्च, 2016 में उसके पिता उसे उसके माता-पिता के घर ले गए।

/

/

6. अप्रैल, 2014 में हैदराबाद जाने के बाद, प्रतिवादी संख्या 2 और उनके पति अप्रैल-सितंबर, 2014 के बीच हैदराबाद में काम करते थे और रहते थे और उसके बाद उनके पति एक असाइनमेंट के लिए लंदन चले गए, और वे लंदन चली गईं, लेकिन दिसंबर, 2014 में ए.

प्रियंका मिश्रा और ओआरएस. बनाम.द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] ए.

केवल।इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति को मार्च, 2015 में स्वीडन में नौकरी मिली और पत्नी/प्रत्यर्थी संख्या 2 मई, 2015 में उनके साथ शामिल हुई। 7.उत्तरदाता संख्या 2 ने बाद में अपने पति और अपीलार्थियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया।इसने अपीलकर्ताओं को संहिता की धारा 482 के अंतर्गत इसे रद्द करने के लिए 2019 के विविध आपराधिक मामले संख्या 6054 के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए प्रेरित किया।

/

अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुतियाँ:

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि स्वीडन में पहले से ही तलाक का मामला शुरू किया जा चुका है।यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 शायद ही वैवाहिक घर में रहती थी क्योंकि उसकी शादी आईडी 1 पर हुई थी और अप्रैल, 2014 में वह हैदराबाद चली गई और अपने पति के साथ रहती थी और वहां काम भी करती थी।मार्च, 2015 में प्रतिवादी नंबर 2 का पति स्वीडन चला गया और मई, 2015 में वह भी स्वीडन में उसके साथ शामिल हो गई।

/

9. यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता संख्या 2 और 3 शायद ही मध्य प्रदेश के रीवा में वैवाहिक गृह में रहते थे, क्योंकि अपीलार्थी संख्या 3 रायगढ़ में काम कर रहा था और अपनी पत्नी (अपीलार्थी संख्या 2) के साथ कंपनी के आवास में रह रहा था और अपीलार्थी संख्या 1 पुणे में काम कर रहा था और विप्रो इंफोटेक लिमिटेड में कार्यरत था।

/

10. विद्वान वकील ने तर्क दिया कि किसी भी अपीलार्थी के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है।इसके अलावा, यह बताया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2, हैदराबाद में अपने पति के साथ रहने और गर्भवती होने के कारण, पति और पत्नी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध दिखाती है।यह प्रस्तुत किया गया था कि हैदराबाद में जबरन गर्भपात का आरोप इस कारण से पूरी तरह से झूठ है कि अगर इतनी गंभीर घटना वास्तव में हुई होती, तो प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से किसी प्राधिकरण के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होती।यह भी आग्रह किया गया कि रोजगार प्राप्त करने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने पति के साथ स्वीडन ले जाना और वहां रहना यह

भी इंगित करता है कि उसे अपने पति और अपीलार्थियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने किसी भी समय दंपति के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की है।

/

/

/

11. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2 और उनके पति ने वास्तव में स्टॉकहोम, स्वीडन में 09.07.2018 पर तलाक की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। स्वीडन से भारत लौटने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने पति और अपीलार्थियों को पूर्व-उल्लिखित तलाक के मामले को वापस लेने की धमकी देना शुरू कर दिया, अन्यथा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

/

1156

/

[2023] 5 एस सी आर।

परिवार के सभी सदस्य। यह प्रस्तुत किया गया था कि यह इस तथ्य से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 के पति ने 18.09.2018 पर पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को शिकायत की थी, और उसके बाद ही प्रतिवादी संख्या 2 ने 3 दिन बाद 22.09.2018 पर अपनी शिकायत प्रस्तुत की। 12. विद्वान वकील ने पुलिस के समक्ष संहिता की धारा 161 के अंतर्गत और विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष संहिता की धारा 164 के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या 2 के बयानों में विसंगति की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि शिकायत में उसने कहा है कि उसके पिता उसे माता-पिता के घर ले आए थे, जबकि विद्वान मजिस्ट्रेट के सामने बयान में उसने कहा है कि उसे आरोपी व्यक्तियों द्वारा जबरन उसके माता-पिता के घर भेज दिया गया था।

/

/

13. विद्वान वकील ने न्यायालय का ध्यान विद्वान सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर दिनांक 1 द्वारा पारित आदेश की ओर भी आकर्षित किया, जिसके द्वारा अपीलार्थियों को अग्रिम जमानत दी गई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 2 को हुई किसी भी चोट

(आई. एस.) के संबंध में केस-डायरी के साथ कोई दस्तावेज नहीं जोड़े गए थे, और यह भी कि वह स्वीडन में रह रही थी।

/

14. रिलायंस को राजेश शर्मा बनाम उत्तर राज्य पर रखा गया था।

प्रदेश, (2018) 10 एस. सी. सी. 472, जिसमें भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 498-ए के दुरुपयोग को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए थे। निवेदनों में आग्रह किया गया था कि वर्तमान मामले में इनका पालन नहीं किया गया।

/

15. यह प्रस्तुत किया गया था कि एफ. आई. आर. और उससे जुड़े दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र के अवलोकन से पता चला कि इसके अंकित मूल्य पर कोई सबूत/सामग्री नहीं बनाई गई थी और वर्तमान आपराधिक अभियोजन विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

/

उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा प्रस्तुतियाँ

16. प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील, जिन्होंने एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया है, ने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान आरोप विधिवत साबित हुए हैं और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थियों सहित सभी अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। रिलायंस को इस न्यायालय द्वारा हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लीमेंट मामले में निर्णय पर रखा गया था। (1) एस. सी. सी. 335, जिसमें, विद्वत वकील प्रस्तुत किया गया है, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि एफ. आई. आर. को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया आवेदकों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, और आरोपों की सत्यता जांच के चरण में नहीं की जा सकती है, जिसे विद्वत निचली विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने वाले साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना है।

/

/

1157

प्रियंका मिश्रा और ओआरएस. बनाम. द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.] ए.

/

17. पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (1998) में निर्णय

3 एस. सी. सी. 309 पर भी भरोसा किया गया था, जहां पैराग्राफ 18 में न्यायालय ने देखा कि सामान की मांग को पूरा नहीं करने के कारण, शादी की अगली तारीख से ही, पत्नी को बार-बार ताना मारा जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था और बदसूरत कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और इस प्रकार, किसी भी दुल्हन के लिए इससे बड़ी मानसिक यातना और उत्पीड़न नहीं हो सकता था। इसी तरह की निर्भरता

/

महेंद्र के सी बनाम कर्नाटक राज्य, (2022) 2 एस. सी. सी. पर रखा गया था।

129 , जहां यह कहा गया था कि संहिता की धारा 482 के अंतर्गत , उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या शिकायत में आरोप (आरोप), जैसा कि वे खड़े हैं, उसमें जोड़े या घटाये बिना, प्रथम दृष्टया कथित अपराध (अपराधों) के तत्वों को स्थापित करते हैं।

/

18. यह अनुमान लगाया गया कि उच्च न्यायालय न तो आरोपों की सत्यता का परीक्षण करता है और न ही मुकदमा चलाने वाले न्यायाधीश के रूप में आगे बढ़ता है। इसी तरह, केंद्रीय जांच ब्यूरो में निर्णय का संदर्भ दिया गया था

बनाम ए रविशंकर प्रसाद, (2009) 6 एस. सी. सी. 351, जहां हालांकि मुकदमा चलाया गया।

मामला अग्रिम चरण में था, उच्च न्यायालय ने आरोपों को खारिज कर दिया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस निर्णय को पलट दिया जिसमें इसे न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना गया था।

/

19. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एस. महबूब बाशा बनाम कर्नाटक राज्य, (2014) 10 एस. सी. सी. 244 में, जहां पैराग्राफ 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पत्नी के साथ क्रूरता से संबंधित मामले में, आरोपी के अपराध को घर लाने के लिए, स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ करना आवश्यक नहीं था, क्योंकि इस तरह के दुर्व्यवहार और क्रूरता बंद दरवाजों में की जाती है, जहां शायद ही किसी गवाह की उम्मीद की जा सकती है, एक स्वतंत्र गवाह से बहुत कम।

/

20. रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2019) 5

एस. सी. सी. 384 [एक 3-न्यायाधीश पीठ का निर्णय, जिसमें हममें से एक, संजय किशन कौल, जे. ने भी कोरम का गठन किया था], पैराग्राफ 16 पर भरोसा रखा गया था, जहां इस न्यायालय को यह ठहराते हुए खुशी हुई:

/

“16. इसलिए, हम मानते हैं कि उस स्थान की अदालतें जहां पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता के कृत्यों के आधार पर पत्नी छोड़ने के बाद शरण लेती है या वैवाहिक घर से भगा दी जाती है, उन्हें भी, तथ्यात्मक स्थिति पर निर्भर करते हुए, दंड संहिता की धारा 498-ए के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का अधिकार होगा। ”

/

विश्लेषण, कारण और निष्कर्ष:

/

1158

/

[2023] 5 एस सी आर।

21. मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, प्रश्न एफ. आई. आर. अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। संहिता की धारा 161 और 164 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 2 के बयानों और अन्य गवाहों के बयानों सहित अभिलेख पर लाई गई सामग्री के एक सादे लेकिन सावधानीपूर्वक पढ़ने से, जहां तक वे अपीलार्थियों से संबंधित हैं, आरोप दूरगामी लगते हैं और विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। कुल मिलाकर तथ्य यह दर्शाते हैं कि प्रतिवादी संख्या 2 विवाह की तारीख से वैवाहिक घर में तीन सप्ताह से भी कम समय तक रही, फिर काफी समय तक अपने पति के साथ हैदराबाद में रही और अंत में लंदन और फिर स्वीडन चली गई। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने भारत लौटने पर आपराधिक प्रश्न दर्ज किया। हम समझते हैं कि यह एक जवाबी रणनीति है, क्योंकि इसमें अपीलकर्ताओं का संबंध है।

/

/

22. इस मोड़ पर, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि एक बार स्वीडन में, जहां प्रतिवादी संख्या 2 अपने पति के साथ रह रही थी, तलाक की याचिका दायर की गई थी, वहां स्वयं कोई अवसर नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 स्वीडन से वैवाहिक घर जाने के लिए आने के बाद, वहां बहुत कम रहते हैं।

/

23. इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पति ने पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज कराने से 3 दिन पहले, पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को, प्रत्यर्थी संख्या 2 से पति और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाने की धमकी मिलने के संबंध में ई-मेल किया था, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि कम से कम, तत्काल अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप, एक विचार के बाद के हैं। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा उद्धृत पूर्ववर्ती सिद्धांतों में क्षेत्र है, यह देखना प्रासंगिक है कि क्या वे वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य में उसकी सहायता के लिए आते हैं। इसका जवाब नकारात्मक है।

/

/

24. हाल के एक पुराने फैसले में, यह न्यायालय कहकशान में

कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य, (2022) 6 एस. सी. सी. 599

विभिन्न उदाहरणों पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता-पत्नी के ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने की प्रार्थना को अस्वीकार करना अनुचित था। उक्त मामले में उन अपीलार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करके अपील की अनुज्ञात गई थी। न्यायालय ने राहत देते हुए कहा:

/

“21. इसलिए, प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करने पर और अपीलार्थी-अभियुक्त की किसी विशिष्ट भूमिका के अभाव में, यह अन्यायपूर्ण होगा यदि ए

/

1159

प्रियंका मिश्रा और ओआरएस. बनाम. द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ए. एन. आर. [अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जे.]

अपीलार्थियों को मुकदमे के क्लेशों से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है अर्थात् सामान्य और सर्वव्यापी आरोप ऐसी स्थिति में प्रकट नहीं हो सकते हैं जहां शिकायतकर्ता के पति के रिश्तेदारों को मुकदमे से गुजरने के लिए मजबूर किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न उदाहरणों में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एक आपराधिक मुकदमे के परिणामस्वरूप अंततः बरी होने से भी अभियुक्त पर गंभीर निशान लगते हैं, और इसलिए इस तरह की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ”

/

(जोर दिया गया) 25। हम उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। वर्तमान मामले में, तथ्य उस स्थिति के समान हैं जो कहकशान कौसर (ऊपर) में प्राप्त हुई थी। ऊपर की गई चर्चाओं के आलोक में, इस न्यायालय की दृढ़ राय है कि अपीलकर्ताओं को परेशान करने वाले और अनुचित आपराधिक अभियोजन से और अनावश्यक रूप से अंतिम मुकदमे की कठोरता से बचाया जाना चाहिए।

/

26. अपील की अनुज्ञात है। हम इस अभियोजन को शुरुआत में ही समाप्त कर देते हैं। तदनुसार, आक्षेपित निर्णय होने योग्य है, और इसके द्वारा अलग रखा जाता है। ग्वालियर जिला के महिला थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज 2018 की अपराध संख्या 139 को अपीलकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया गया है। अपीलार्थियों से संबंधित कोई भी परिणामी कार्यवाही विधि की नजर में गुमनामी में पिघल जाएगी।

/

27. लंबित आवेदन, इसलिए, विचार के लिए मौजूद नहीं हैं और उन्हें अभिलेख में भेज दिया जाता है। खर्चों में आसानी होती है।

/

28. उत्तरदाता संख्या 2 ने एक बाद के शपथपत्र के माध्यम से स्वीडिश कार्यवाही में बाद के घटनाक्रमों को हमारे ध्यान में लाने की मांग की। उस पर कोई विचार व्यक्त किए बिना, हम स्पष्ट करते हैं कि यह निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 2 को भारत या स्वीडन में पति के खिलाफ अन्य वैध उपायों को आगे बढ़ाने से नहीं रोकेगा, यदि ऐसा उपलब्ध है, जैसा भी मामला हो।

/

दिव्या पांडे

अपील अनुज्ञात ।

(सहायक: शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

/

/